



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक...../अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-I/जी०

दिनांक.....03/10/26

संशोधित विज्ञप्ति

कारपोरेशन विज्ञप्ति संख्या-333/अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-I/जी० दिनांक 27.01.2024 एवं संशोधित विज्ञप्ति संख्या-3306/अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-I/जी० दिनांक 23.07.2026 के क्रम में, तकनीकी ग्रेड-एक, तकनीकी ग्रेड-दो (विद्युत/लाइन) एवं केबिल ज्वाइंटर (पी चार, पी पांच और पी छः) पदों पर कार्यरत कार्मिकों से अवर अभियन्ता (विद्युत एवं मैकेनिकल) के विभागीय प्रोन्नति पदों पर लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के माध्यम से चयन हेतु निर्गत विज्ञप्ति में निम्नलिखित आंशिक संशोधन किया जाता है :-

1. पूर्व विज्ञप्ति में उल्लिखित "कार्मिक जो विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि तक निर्धारित शर्तें, अर्हताएं, पात्रता एवं सेवा अवधि पूरी करते हैं" को विस्तारित करते हुए संशोधित तिथि दिनांक 15.10.2026 की जाती है।
2. इच्छुक कार्मिक अपने सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी (अधिशाली अभियन्ता अथवा उच्च स्तर के अधिकारी) के माध्यम से कार्यालय अधिशाली निदेशक (मानव संसाधन), उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को आवेदन-पत्र प्रेषित कराने की अन्तिम तिथि को विस्तारित करते हुए संशोधित तिथि दिनांक 25.10.2026 निर्धारित की जाती है।

जिन कार्मिकों द्वारा अपना आवेदन-पत्र निगम को पूर्व में प्रेषित किया जा चुका है, उन्हें पुनः आवेदन-पत्र प्रेषित करने की आवश्यकता नहीं है। विज्ञप्ति संख्या-333/अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-I/जी० दिनांक 27.01.2024 के शेष अन्य अंश यथावत रहेंगे।

संलग्नक - यथोपरि।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक 4737-अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/S-I/जी० तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ ऑफिसर, प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक(वितरण एवं परियोजना/वित्त), उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. अधिशाली निदेशक(तकनीकी), उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
4. समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर 1/2), उपाकालि,।
5. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संशोधित विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
6. समस्त अधिशाली अभियन्ता, उपाकालि, को इस आशय से प्रेषित कि उक्त संशोधित विज्ञप्ति का व्यापक प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
7. अधिशाली अभियन्ता(सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को उपाकालि की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
8. अध्यक्ष/महामंत्री, समस्त यूनियन,.....।
9. नोटिस बोर्ड।

(डॉ० आर० जी० मलिक)
अधिशाली निदेशक(मानव संसाधन)



उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लि०

(उत्तराखण्ड सरकार का उपक्रम)

Uttarakhand Power Corporation Ltd.

(A Govt. of Uttarakhand Undertaking)

CIN : U40109UR2001SGC025867

Email ID: edhr@upcl.org, Website: www.upcl.org

पत्रांक 333 / अधि० निदे० (मा० सं०) / उपाकालि / S-I / जी०

दिनांक 27/01/2024

विज्ञप्ति

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा स्पेशल अपील संख्या 250/2018 में पारित आदेश दिनांक 06.07.2018 के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या 1982/1(2)/2018-06(2)-21/2015 दिनांक 23.10.2018 के द्वारा अनुमोदित तथा कारपोरेशन कार्यालय ज्ञाप संख्या 3483/निदे०(मा० सं०)/उपाकालि दिनांक 23.10.2018 के द्वारा प्रख्यापित उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड अवर अभियन्ता(विद्युत एवं मैकेनिकल) सेवा उपविधि, 2018 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड की सेवा में परिचालकीय वर्ग के कर्मचारीगण में से पदोन्नति द्वारा जिन्होंने हाईस्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली हो और तकनीकी ग्रेड-एक और तकनीकी ग्रेड-दो (विद्युत/लाइन) और केबिल ज्वाइंटर (पी चार, पी पांच और पी छः) में कार्यरत अभ्यर्थियों में से पदोन्नति द्वारा 37 प्रतिशत एवं तकनीशियन (ग्रेड-1/2) (विद्युत एवं लाइन)/केबिल ज्वाइंटर के पद पर स्थायी डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी कार्मिकों में से लिखित परीक्षा के माध्यम से विभागीय प्रोन्नति के आधार पर 03 प्रतिशत, जो कि नियम 20 में दी गयी है; परन्तु यह प्रावधान उ०प्र० राविप/उ०प्र०पाकालि के ऐसे कार्मिक जो उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में आमेहित है, पर उस सीमा तक लागू होगी, जहाँ तक पूर्ववर्ती उ०प्र०राविप सब-ऑर्डिनेट इलैक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन, 1972 के अन्तर्गत अनुमन्य है, के अनुसार कार्मिकों जो निम्नलिखित शर्तें, अर्हतायें, पात्रता एवं सेवा अवधि विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि को पूरी करते हैं, से अवर अभियन्ता(विद्युत एवं मैकेनिकल) के विभागीय प्रोन्नति के निम्न श्रेणीवार रिक्त पदों पर (जो घट/बढ़ सकते हैं) लिखित वस्तुनिष्ठ परीक्षा के माध्यम से चयन हेतु निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं :-

श्रेणी	निर्धारित कोटा	रिक्त पदों की संख्या (जो घट/बढ़ सकते हैं)
गैर स्थायी डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी	37 प्रतिशत	73
स्थायी डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी	03 प्रतिशत	10
योग	40 प्रतिशत	83

नोट :- राज्यधीन सेवाओं में दिव्यांगों को समूह 'क' 'ख' 'ग' तथा 'घ' के पदों में पदोन्नति सम्बन्धी शासनादेश संख्या 1314/1(2)/2018-05-67/2014 दिनांक 28.06.2018 में निहित व्यवस्था लागू होगी।

अर्हतायें एवं शर्तें :-

- कार्मिक तकनीशियन (ग्रेड-1/2)(विद्युत एवं लाइन)/केबिल ज्वाइंटर के पद पर स्थायी घोषित हो।
- कार्मिक तकनीशियन (ग्रेड-1/2)(विद्युत एवं लाइन)/केबिल ज्वाइंटर के पद पर 10 वर्ष की अर्हकारी सेवा पूर्ण कर चुका हो।
- तकनीशियन (ग्रेड-1/2)(विद्युत एवं लाइन)/केबिल ज्वाइंटर के पद पर स्थायी डिप्लोमाधारी/डिग्रीधारी कार्मिकों के लिए 03 प्रतिशत कोटे के अन्तर्गत तकनीशियन (ग्रेड-1/2) (विद्युत एवं लाइन)/केबिल ज्वाइंटर के पद पर अर्हकारी सेवा की न्यूनतम अवधि 05 वर्ष की होगी, परन्तु यह कि :-

क्रमशः.....2

- (1) अवर अभियन्ता(प्रशिक्षु) विद्युत एवं मैकेनिकल के पद की सीधी भर्ती के लिए सामान्य/अन्य पिछड़ा वर्ग अभ्यर्थियों के लिए विद्युत/इलेक्ट्रानिक्स/विद्युत और इलेक्ट्रानिक्स/इलेक्ट्रानिक्स और कम्यूनिकेशन/एप्लाइड इलेक्ट्रानिक्स तथा इंस्ट्रुमेंटेशन के त्रिवर्षीय नियमित डिप्लोमा न्यूनतम 55 प्रतिशत अंको के साथ तथा विधि द्वारा स्थापित तकनीकी शिक्षा राज्य परिषद्/विश्वविद्यालय या संस्था अथवा केन्द्र/राज्य सरकार या भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा मान्यता प्राप्त कोई अन्य संस्था से होना चाहिए; दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण-पत्र एवं फ्रेन्चाइजी संस्थानों द्वारा ऑफ कैम्पस विधि से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री एवं गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री मान्य नहीं होंगे। विभागीय कर्मचारियों के लिए 50 प्रतिशत अंक तथा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उत्तीर्णांक अंको से उत्तीर्ण अभ्यर्थी अर्ह होंगे।
- (2) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से प्राप्त प्रमाण-पत्र एवं फ्रेन्चाइजी संस्थानों द्वारा ऑफ कैम्पस विधि से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री मान्य नहीं होंगे।
- (3) गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्त तकनीकी डिप्लोमा/डिग्री मान्य नहीं होंगे :

परन्तु यह प्रावधान उ0प्र0 राविप/उ0प्र0पाकालि के ऐसे कार्मिक जो उत्तराखण्ड पावर कारपोरेशन लिमिटेड में अमेलित है, पर उस सीमा तक लागू होगी, जहाँ तक पूर्ववर्ती उ0प्र0 राविप सब-ऑर्डिनेट इलैक्ट्रिकल एण्ड मैकेनिकल इंजीनियरिंग सर्विस रेगुलेशन, 1972 के अन्तर्गत अनुमन्य है :-

- (क) 1. परिचालकीय संवर्ग के कुशल कर्मचारी जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था अथवा संगत विनियमावली के परिशिष्ट 'ए' में इंगित संस्थानों से डिप्लोमा उत्तीर्ण हो एवं 3 वर्ष या अधिक की निरन्तर सेवा (वर्क चार्ज्ड सेवा सहित) पूरी करते हो।

अथवा

2. आई.टी.आई. परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं 4 वर्ष या अधिक की लगातार सेवा पूरी की हो।

अथवा

3. हाई स्कूल परीक्षा उत्तीर्ण की हो एवं 5 वर्ष या अधिक की निरन्तर सेवा पूरी की हो।

अथवा

4. हाई स्कूल पास नहीं हो एवं 10 वर्ष या अधिक की निरन्तर सेवा पूरी की हो।

- (ख) अनक्वालीफाइड वर्क चार्ज्ड सुपरवाइजर/सहायक सुपरवाइजर/अनक्वालीफाइड एक्स कैडर सुपरवाइजर :-

1. जो आई.टी.आई. प्रमाण पत्र धारक हों तथा 4 वर्ष या अधिक की निरन्तर सेवा पूर्ण करते हों।

अथवा

2. हाई स्कूल उत्तीर्ण हों एवं 5 वर्ष या अधिक की निरन्तर सेवा पूर्ण करते हो।

अथवा

3. हाई स्कूल उत्तीर्ण नहीं हों एवं 7 वर्ष या अधिक की निरन्तर सेवा पूर्ण करते हो।

- (ग) आई.टी.आई. अथवा डिप्लोमा धारक सहायक सुपरवाइजर(रेगुलर) जो तीन वर्ष या अधिक की निरन्तर सेवा पूर्ण करते हो।

पूर्ववर्ती उ.प्र. राज्य विद्युत परिषद् द्वारा अधिगृहीत विद्युत अण्डरटेकिंग के कर्मचारी जो उक्त पैरा संख्या 1, 2, 3 व 4 में वर्णित शर्तें एवं अर्हतायें पूरा करते हैं, तथा यदि उन्होंने कारपोरेशन कर्मचारियों के लिए लागू सेवा शर्तें स्वीकार कर ली हों तथा एक्स-लाइसेंसी की सेवा में स्थाई रूप से निर्धारित सेवा अवधि पूर्ण करते हैं, को भी प्रस्तावित परीक्षा में बैठने की अनुमति प्रदान की जायेगी, यदि एक्स लाइसेंसी की सेवा शर्तें एवं अन्य लाभ यदि कोई हैं और उन्हें एक्स लाइसेंसी में प्राप्त थे तथा अधिग्रहण के उपरान्त भी उक्त लाभ प्राप्त कर रहे हैं, का परित्याग कर दें।

✕

क्रमशः.....3

चयन प्रक्रिया :-

विभागीय प्रोन्नति हेतु कारपोरेशन द्वारा निर्धारित रिक्तियों के विरुद्ध 200 अंकों की 03 घण्टे की लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। सभी प्रश्न बहुविकल्पीय रीति के चार विकल्पीय उत्तरों जिसमें से केवल एक सही/उत्तम उत्तर होगा, वस्तुनिष्ठ के रूप में होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए एक अंक दिया जायेगा। प्रत्येक त्रुटिपूर्ण उत्तर के लिए ¼ अंक घटा दिये जायेंगे। न्यूनतम उत्तीर्णांक 33 प्रतिशत होगा। प्रश्न हिन्दी में होगा। जिसका प्रारूप निम्नवत् होगा :-

(1)	सामान्य हिन्दी	—	40 प्रश्न
(2)	सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान	—	40 प्रश्न
(3)	तकनीकी ज्ञान	—	100 प्रश्न
(4)	कम्प्यूटर ज्ञान	—	20 प्रश्न

प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा में अर्ह अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के क्रम में अर्ह अभ्यर्थियों के नाम व्यवस्थित करते हुए तैयार की जायेगी। अभ्यर्थी जिनके लिखित परीक्षा में सामान अंक हो, के नाम इस रीति से व्यवस्थित किये जायेंगे जिससे कि आयु में वरिष्ठ अभ्यर्थी लिखित परीक्षा की श्रेष्ठता सूची में ऊपर के स्थान पर आ जाय।

सभी श्रेणियों में 25 प्रतिशत रिक्तियों की प्रतीक्षा सूची तैयार की जायेगी। चयन सूची के आधार पर तैयार प्रतीक्षा सूची परीक्षा परिणाम घोषित होने की तारीख से एक वर्ष के लिए वैध होगी। राज्य सरकार भर्ती के दौरान किसी भी स्तर पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त अथवा स्थगित कर सकेंगे।

विभागीय चयन के माध्यम से परिचालकीय वर्ग के अर्ह कर्मचारियों में से चयनित कर्मचारी भी अवर अभियन्ता (विद्युत एवं मैकेनिकल) के मौलिक पद पर परीक्षा में नियुक्ति किये जायेंगे। नियुक्ति या मौलिक रिक्ति पर नियुक्त समस्त अभ्यर्थी को दो वर्ष की अवधि के लिए परीक्षा पर रखा जायेगा ;

परन्तु यह कि नियुक्ति प्राधिकारी पृथक-पृथक मामले में परीक्षा का दिनांक विनिर्दिष्ट करते हुये एक वर्ष तक परीक्षा अवधि बढ़ा सकता है जिसके कारण अभिलिखित करने होंगे। जिसमें ऐसा दिनांक विनिर्दिष्ट किया जायेगा, जब तक अवधि बढ़ाई जायेगी। किन्तु इस तारीख के पश्चात नियमित सेवा होने पर विशिष्ट आदेश के अनुपलब्धता के कारण स्थायीकरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

यदि नियुक्ति प्राधिकारी को प्रतीत होता है कि परीक्षा अवधि के दौरान किसी समय का परीक्षा अवधि की समाप्ति अथवा परीक्षा की बढ़ाई गयी अवधि में किसी परीक्षाधीन द्वारा अपने अवसरों का पर्याप्त उपयोग नहीं किया गया है या अन्यथा समाधान प्रदान करने में असफल रहा है तो उसे उसके मूल पद पर यदि कोई है प्रत्यावर्तित किया जा सकेगा या यदि उसका किसी पर धारणाधिकार नहीं है तो उसकी सेवाएं समाप्त की जा सकती हैं। ऐसे परीक्षाधीन व्यक्ति जिसे प्रत्यावर्तित कर दिया गया हो या जिसकी सेवायें समाप्त कर दी गयी हैं, किसी प्रतिकर का अधिकार नहीं होगा।

अभ्यर्थियों/कार्मिकों को लिखित परीक्षा में अस्थायी रूप से (Provisionally) सम्मिलित किया जायेगा। अभ्यर्थियों/कार्मिकों को मात्र लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से अर्हता साबित होने अथवा चयन का अधिकार स्वतः प्राप्त नहीं हो जायेगा।



क्रमशः.....4

अभ्यर्थी/कार्मिक अपना आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप के अनुसार पूर्ण रूप से साफ अक्षरों में भरकर एवं प्रारूप पर चिपकाए गये नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ एवं शैक्षिक/तकनीकी योग्यता से सम्बन्धित अभिलेखों की प्रतिलिपि अपने नियंत्रक अधिकारी(अधिकासी अभियन्ता) से सत्यापित कराकर अपना आवेदन पत्र दो अन्य नवीनतम पासपोर्ट साईज फोटोग्राफ एवं 23X11 से.मी. के आकार के स्वयं पत्राचार पता लिखे दो लिफाफों के साथ अपने नियंत्रक अधिकारी (अधिकासी अभियन्ता) को **विज्ञप्ति** निर्गत होने की तिथि से 30 दिवस तक (आवेदन पत्र जमा करने की अन्तिम तिथि) प्रेषित करना सुनिश्चित करेंगे। सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी (अधिकासी अभियन्ता अथवा उच्च स्तर के अधिकारी) का दायित्व होगा की वह **विज्ञप्ति** निर्गत होने की तिथि से 45 दिवस तक समस्त प्राप्त आवेदन पत्रों को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से अधिकासी निदेशक(मानव संसाधन), उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। निर्धारित अन्तिम तिथि के उपरान्त प्राप्त आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जायेगा।

नोट :- यह विज्ञप्ति/परीक्षा किसी भी स्तर पर बिना किसी पूर्व सूचना/कारण प्रदर्शित किये निरस्त अथवा स्थगित की जा सकती है। भविष्य में इस विज्ञप्ति से सम्बन्धित कोई भी तथ्य/विवरण संज्ञान में आने पर प्रश्नगत के सम्बन्ध में तदानुसार संसोधन किया जा सकता है।

संलग्नक - आवेदन पत्र का प्रारूप।

प्रबन्ध निदेशक

पत्रांक - अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/ S-1/जी० तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. स्टाफ ऑफिसर(लेवल-1)-प्रबन्ध निदेशक, उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
2. निदेशक(परिचालन/परियोजना/वित्त), उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।
3. अधिकासी निदेशक(तकनीकी), उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून।

(आर० जे० मलिक)

अधिकासी निदेशक(मानव संसाधन)

पत्रांक 333 - अधि०निदे०(मा०सं०)/उपाकालि/ S-1/जी० तददिनांक। 27/01/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि अपने अधीनस्थ समस्त सम्बन्धित कर्मचारियों को अपने स्तर से विज्ञप्ति के सम्बन्ध में सूचित किया जाना सुनिश्चित करें तथा अर्ह अभ्यर्थियों से प्राप्त आवेदन पत्रों को सम्बन्धित नियंत्रक अधिकारी द्वारा विज्ञप्ति में निहित अर्हताओं एवं शर्तों के अनुरूप पूर्ण रूप से जाँच के उपरान्त सत्यापित कर निर्धारित अन्तिम तिथि (विज्ञप्ति निर्गत होने की तिथि से 45 दिवस) तक अवश्यमेव अधिकासी निदेशक(मानव संसाधन), उपाकालि, विक्टोरिया क्रॉस विजेता गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को विशेष पत्र वाहक के माध्यम से प्रेषित करना सुनिश्चित करें :-

1. समस्त मुख्य अभियन्ता(स्तर 1/2), उपाकालि,।
2. समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उपाकालि,।
3. समस्त अधिकासी अभियन्ता, उपाकालि,।
4. अधिकासी अभियन्ता(सू०प्रौ०), उपाकालि, वि०क्र०वि० गबर सिंह ऊर्जा भवन, देहरादून को उपाकालि की वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. अध्यक्ष/महामंत्री, समस्त यूनियन,.....।
6. नोटिस बोर्ड।

(आर० जे० मलिक)

अधिकासी निदेशक(मानव संसाधन)

नियन्त्रक अधिकारी द्वारा भरा जाने वाला प्रमाण-पत्र
(अधिकांसी अभियन्ता अथवा उच्च स्तर के अधिकारी द्वारा)

प्रमाणित किया जाता है कि :-

नियन्त्रक अधिकारी
द्वारा सत्यापित
अभ्यर्थी का नवीनतम
पासपोर्ट साईज
फोटो चिपकाएं

1. श्री पदनाम के द्वारा प्रपत्र में दिये गये विवरण उनके सेवा अभिलेखों से सत्यापित किया गया है, जो कि सही है, तथापि कार्यालय में उपलब्ध सेवा अभिलेखों के आधार पर इनका सेवा विवरण निम्नवत् है :-

क) विभाग में नियुक्ति की तिथि व पद है।

ख) हाई स्कूल सर्टिफिकेट एवं सेवा पुस्तिका में अंकित जन्म तिथि है।

ग) तकनीशियन ग्रेड-2() के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि है।

घ) तकनीशियन ग्रेड-2() के पद पर स्थायी होने की तिथि है।

2. श्री पदनाम के विरुद्ध किसी प्रकार की विभागीय जाँच एवं अनुशासनिक कार्यवाही नहीं चल रही है।

3. श्री पदनाम द्वारा प्रस्तुत किये गये शैक्षिक प्रमाण पत्रों की मेरे द्वारा भलि-भांति जाँच कर ली गयी है, जो कि पूर्णतः सही है।

4. यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री पदनाम के द्वारा निम्नलिखित परीक्षा विभाग में नियुक्ति के उपरान्त उत्तीर्ण की है, जिसकी उन्हें विभाग द्वारा अनुमति प्रदान की गयी थी। मेरे द्वारा इन प्रमाण पत्रों की जाँच कर ली गयी है, जो कि पूर्णतया सही है।

क्र० सं०	परीक्षा का नाम	विभागीय अनुमति आदेश संख्या व दिनांक	टिप्पणी

नियन्त्रक अधिकारी के हस्ताक्षर :

नियन्त्रक अधिकारी का नाम :

नियन्त्रक अधिकारी का पदनाम :

मुहर :

५५

परिचालकीय संवर्ग के तकनीशियन(ग्रेड-1/2)(विद्युत एवं लाईन) एवं केबिल ज्वाइंटर पद पर कार्यरत अर्ह सदस्यों द्वारा निर्धारित अवर अभियन्ता(विद्युत एवं मैकेनिकल) विभागीय प्रदोन्नति कोटा के अन्तर्गत रिक्त पद पर चयन के माध्यम से पदोन्नति हेतु भरा जाने वाला प्रपत्र

1. अभ्यर्थी का नाम (हिन्दी में) :
(अंग्रेजी में) :
2. पिता का नाम :
3. वर्तमान पद व वेतनमान :
4. इम्प्लोइ कोड : 5. मोबाईल नम्बर
6. पत्राचार का पता :
..... पिन कोड.....
7. ई-मेल आई.डी. :
8. गृह जनपद : 9. राष्ट्रीयता.....
10. जाति (सत्यापित प्रमाण पत्र सहित) :
11. अ) दिव्यांगता की स्थिति :
ब) दिव्यांगता की प्रकृति एवं प्रतिशत :
(सत्यापित प्रमाण पत्र सहित)
12. जन्म तिथि(सत्यापित प्रमाण पत्र सहित) :

DD	MM	YY
----	----	----
13. विभाग में नियुक्ति की तिथि व पद :
14. तकनीशियन(ग्रेड-2)() :

DD	MM	YY
----	----	----

के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि (कोष्ठक में विद्युत/लाईन जो भी लागू है, लिखना अनिवार्य है।)
15. तकनीशियन(ग्रेड-1/2)(विद्युत एवं लाईन)/केबिल ज्वाइंटर के पद पर स्थायीकरण का विवरण :
अ) पद जिस पर स्थायी हैं
ब) स्थायी होने की तिथि

DD	MM	YY
----	----	----

स) स्थायीकरण आदेश संख्या व दिनांक
16. तैनाती कार्यालय - खण्ड का नाम :
उपखण्ड का नाम :
सबस्टेशन का नाम :
सेक्शन का नाम :

बिना सत्यापित
नवीनतम पासपोर्ट
साईज फोटो चिपकाए

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

17. योग्यतायें :-
(अ) शैक्षिक :-

कक्षा	संस्था का नाम	रेग्यूलर/ व्यक्तिगत	उत्तीर्ण वर्ष	श्रेणी

(शैक्षिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कीजिये)

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

111 * 2. 4

(ब) तकनीकी एवं व्यावसायिक :-

योग्यता का विवरण	संस्था का नाम	रेग्यूलर/ व्यक्तिगत	उत्तीर्ण वर्ष	प्रतिशत अंक

(तकनीकी एवं व्यावसायिक योग्यता के प्रमाण-पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न कीजिये)

18. विभाग में प्रथम नियुक्ति एवं पदोन्नतियों का विवरण :-

विभाग में नियुक्ति की तिथि	नियुक्ति पद	पदोन्नति आदेश संख्या व दिनांक	पदोन्नति पद	पदोन्नति पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि	तैनाती खण्ड का नाम

19. दण्ड/पुरस्कार का विवरण यदि कोई हो :-

दण्ड/पुरस्कार का विवरण	निलम्बन अवधि		दण्ड व पुरस्कार मिलने का कारण	वर्क चार्ज /रेग्यूलर	खण्ड का नाम	टिप्पणी
	कब से	कब तक				

घोषणा

मैं.....पुत्र/पुत्री श्री.....

एतद्वारा घोषित करता हूँ/करती हूँ कि सम्बन्धित विज्ञप्ति में उल्लिखित अर्हतायें, शर्तें एवं अन्य प्रतिबन्धों को भलि-भाँति पढ़/समझ लिया है, जिससे मैं सहमत हूँ तथा इस प्रपत्र में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी एवं विश्वास के अनुसार पूर्णतया सही है और यदि इस प्रपत्र में दी गयी कोई भी सूचना असत्य पाई जाये तो मुझे भविष्य में परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अयोग्य मान लिया जाय तथा यदि भविष्य में मेरी पदोन्नति हो जाती है तो उसे निरस्त कर दिया जाय।

मैं यह भी प्रमाणित करता हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत तकनीकी योग्यता प्रमाण-पत्र(डिप्लोमा/डिग्री) दूरस्थ शिक्षा के माध्यम, फ्रेन्चाइजी संस्थानों द्वारा ऑफ कैम्पस विधि तथा गैर मान्यता प्राप्त संस्थान से अच्छादित नहीं है। जो तकनीकी (डिप्लोमा/डिग्री) प्रमाण-पत्र संलग्न किया गया है वह मान्यता प्राप्त संस्थान से प्राप्त किया गया है, जो कि वैधानिक है। इस विषय में इसके पश्चात यदि मेरी पदोन्नति होती है और तत्पश्चात यह किसी भी स्तर पर प्रमाण पत्र अवैधानिक एवं अमान्य पाया जाता है तो मेरी पदोन्नति स्वतः ही निरस्त मानी जायेगी तथा मेरे विरुद्ध विभागीय द्वारा वैधानिक/अनुशासनिक कार्यवाही की जायेगी।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

अभ्यर्थी का नाम

W * K

शपथ पत्र
(दस रुपये के स्टाम्प पेपर पर)

मैं पुत्र श्री

पदनाम खण्ड/इकाई.....

शपथपूर्वक निम्नवत् प्रमाणित करता हूँ कि -

1. अवर अभियन्ता पद पर पदोन्नति हेतु कार्यालय द्वारा तैयार किये गये सभी शैक्षिक योग्यता/तकनीकी योग्यता/व्यावसायिक योग्यता एवं सेवा सम्बन्धी विवरण का जो प्रपत्र तैयार किया गया है उसे मेरे द्वारा भलीभाँति पढ़/समझ लिया गया है जो कि पूर्णतः सही है।
2. मेरे द्वारा प्रस्तुत शैक्षिक योग्यता/तकनीकी योग्यता/व्यावसायिक योग्यता प्रमाण पत्र पूर्णतः सही एवं सत्य है, यदि भविष्य में किसी स्तर पर इन्हें गलत/असत्य पाया जाता है तो भारतीय दण्ड संहिता, कारपोरेशन के सेवकों पर लागू सरकारी कर्मचारी आचरण नियमावली-1956 तथा कारपोरेशन नियमानुसार मुझे जो भी दण्ड दिया जायेगा मुझे स्वीकार होगा तथा अवर अभियन्ता पद पर मुझे दी गई पदोन्नति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जाय।

दिनांक

कार्मिक का हस्ताक्षर

पदनाम -

इकाई का नाम -

२५ * २.. ५